अध्याय-III

अध्याय - III

3. लेन-देन लेखापरीक्षा अवलोकन

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों के लेन-देन की नमूना जाँच में पाये गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सन्निहित है।

झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड

3.1 स्रोत पर कर कटौती की वापसी का दावा न करने के कारण हानि

कंपनी द्वारा आयकर विवरणी के देर से दायर करने के कारण स्रोत पर कर कटौती की वापसी का दावा करने में विफल रहने के फलस्वरुप ₹ 44.82 लाख की हानि।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 194ए के अनुसार, सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज पर स्रोत पर आयकर की कटौती (टीडीएस) आदाता बैंक द्वारा की जाती है। अधिनियम की धारा 203 के अनुसार आदाता बैंक टीडीएस को आयकर विभाग के पास जमा करता है तथा इससे संबंधित आयकर प्रमाणपत्र निर्धारिती संगठन को देता है। निर्धारिती कंपनी को नियत समय में आयकर विवरणी को दायर कर टीडीएस वापसी का दावा करना चाहिए यदि इसकी कर योग्य आय शून्य है या कर दायित्व नहीं या कम है। इसके अलावा, धारा 239 में ये प्रावधान है कि कोई राशि की वापसी का दावा अनुमान्य नहीं होगा जबतक कि निर्धारण वर्ष के अंतिम दिन से एक वर्ष की अवधि के अन्दर निर्धारिती कंपनी वापसी का दावा नहीं करती है।

झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड (कंपनी) ने अपने निधि को चार अनुसूचित बैंकों के सावधि जमा/फ्लेक्सी-सावधि जमा में रखा था। कंपनी द्वारा अर्जित ब्याज पर बैंकों द्वारा टीडीएस काटे जा रहे थे एवं कंपनी को टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किये जाते थे। 2008-09 से 2013-14 के वित्तीय वर्षो के दौरान कंपनी ने टीडीएस राशि के कटौती के संबंध में ₹ 44.82 लाख का प्रमाणपत्र बैंक से प्राप्त किया। हालांकि, कंपनी ने आयकर विवरणी दायर करके टीडीएस वापसी का दावा नहीं किया जिसके लिए वह हकदार थी चूकिं कंपनी 2003-04 से हानि वहन कर रही थी।

कंपनी ने अपने 2008-09 और 2009-10 के लेखे क्रमश: जून 2010 और अगस्त 2012 में तैयार किया और दोनो ही वर्षो में हानि वहन की। कंपनी को 2008-09 के आयकर विवरणी को मार्च 2011 तक दायर करना था जो टीडीएस वापसी के लिए निर्धारित समय था जो कि कंपनी ने नहीं किया। यह कंपनी की लापरवाही को इंगित करती है जिससे कंपनी को अतिरिक्त हानि हुई। वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लेखों को अभी तक अंतिमीकृत करना है।

इस प्रकार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक का आयकर विवरणी दायर नहीं की तथा ₹ 44.82 लाख की राशि की वापसी का दावा करने में विफल रही। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 239 के अनुसार विहित समय सीमा के

अंदर आयकर विवरणी दायर नहीं करने के कारण ₹ 33.35 लाख की राशि का दावा कालातित हो गया।

कंपनी में एक मुख्य वित्त अधिकारी, प्रबंध निदेशक तथा निदेशक मंडल होने के बावजूद कंपनी के वित्तीय हितों की पुरी तरह से उपेक्षा की गई। उपरोक्त हानि समय पर लेखों के अंतिमीकरण तथा आयकर विवरणी के दायर करने को सुनिश्चित करने लिए कंपनी में अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण आकलन को इंगित करता था।

इस प्रकार, समय पर लेखों के अंतिमीकरण और आयकर विवरणी को दायर नहीं करने के कारण कंपनी टीडीएस राशि की वापसी का दावा करने में विफल रही। परिणामतः ₹ 33.35 लाख की हानि हुई और आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कंपनी वर्ष 2013-14 के टीडीएस के वापसी का दावा मार्च 2016 तक नहीं करती है तो ₹ 11.47 लाख की अतिरिक्त हानि हो सकती है।

कंपनी ने कहा (सितम्बर 2015) कि उसने एक चार्टड एकाउण्टेंट फर्म को लेखों को तैयार करने के लिए नियुक्त किया है ताकि वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक के आयकर विवरणी को दायर किया जा सके और टीडीएस वापसी का दावा किया जाए। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कहा कि उक्त राशि की हानि उस समय निर्धारित होगी जब कंपनी के टीडीएस वापसी के दावे को आयकर विभाग द्वारा खारिज कर दिया जाएगा।

जबाव मान्य नहीं है क्योंकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 239 निर्धारिती को निर्धारण वर्ष के एक वर्ष के बाद टीडीएस वापसी का दावा करने से प्रतिबंधित करती है।

अतः कंपनी को भविष्य में इस तरह के हानि से बचने के लिए समय पर लेखों के अंतिमीकरण और आयकर विवरणी को दायर करना सुनिश्चित करने के लिए अपने आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करनी चाहिए।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (मई 2015); अनुस्मारक दिनांक 29 जुलाई 2015 के बावजूद उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवबंर 2015)।

झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड और तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड

3.2 अनियमित व्यय

निविदा में अयोग्य पायी गई दो एजेंसियों से बेधन और अन्वेषण कार्य को क्रियान्वित कराने के फलस्वरुप ₹ 21.70 करोड़ का अनियमित व्यय।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने बनहरदी कोयला ब्लॉक, पूर्ववत झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) अब झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल) और राजबार कोयला ब्लॉक तेनुघाट विघुत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल) को आंवटित किया (अगस्त 2006)। खनन के कार्य में धीमी प्रगति को देखते हुए खान एवं भूतत्व विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार ने जेएसईबी तथा टीवीएनएल के लिए कोयला ब्लॉकों के बेधन कार्य निविदा के द्वारा बाह्य स्रोतों से कराने का निर्णय लिया (नवंबर 2010)।

निविदा के जवाब में चार बोलियाँ प्राप्त हुई थी, जिसमें से दो बोलीदाता तकनीकी एवं वाणिज्यिक मूल्यांकन के बाद योग्य पाये गये एवं उनकी वित्तीय बोली खोली गई जबकि दो बोलियाँ निविदा के कुछ शर्तों[1] को पुरा नहीं करने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई। एक फर्म (मेसर्स नरेश कुमार एण्ड कं0) द्वारा उद्धृत दर ₹ 2800 प्रति मीटर कोर बेधन (एनक्यू आकार) के लिए तथा ₹ 3500 प्रति मीटर कोर बेधन (एचक्यू आकार) के लिए सभी करों सहित न्युनतम थी। हालांकि, विभाग ने चारों बोलीदाताओं को यह बताते हुये कि वे तकनीकी मापदण्ड को पूरा करते थे बेधन और अन्वेषण कार्य के लिए एल-1 दर पर सूचिबद्ध किया (नवबंर 2010) जिसमें दो अयोग्य बोलीदाता यथा साउथ वेस्ट पिनांकल एक्सप्लोरेशन प्राईवेट लिमिटेड और इंदु प्रोजेक्ट लिमिटेड भी शामिल थे। इन दोनों बोलीदाताओं को सूचिबद्ध करना निविदा के प्रावधानों के अनुसार अनियमित था।

विभाग ने राजबार कोयला ब्लॉक के 10 वर्ग कि.मी में कोर बेधन, जियोलोजिकल लॉगिंग और जियोफिजिकल सर्वे का कार्य संयुक्त रूप से अयोग्य बोलीदाताओं को स्वीकृत दर पर दिया (जनवरी 2011)। टीवीएनएल ने ₹ 8.67 करोड़ का भुगतान विभाग द्वारा विपत्रों के प्रमाणित करने के पश्चात किया।

बनहरदी कोयला ब्लॉक में बेधन और अन्वेषण कार्य के लिए, विभाग ने साउथ वेस्ट पिनांकल एक्सप्लोरेशन प्राईवेट लिमिटेड को लगाने का प्रस्ताव किया (जनवरी 2011) लेकिन कोयला मंत्रालय ने संचालन में देरी के कारण कोयला ब्लॉक के आवंटन को रद्द कर दिया (जून 2011) जिसे बाद में कोयला मंत्रालय ने फरवरी 2013 में जेएसईबी को पुन: आवंटित किया। जेएसईबी बेधन कार्य को साउथ वेस्ट पिनांकल एक्सप्लोरेशन प्राईवेट लिमिटेड से करवाने के लिए विभाग से आग्रह किया (मार्च 2013) लेकिन साउथ वेस्ट पिनांकल एक्सप्लोरेशन प्राईवेट लिमिटेड ने अनुमोदित दर पर कार्य करने से इनकार कर दिया तथा सेवा कर (12.36 प्रतिशत) के अतिरिक्त भुगतान की मॉग की। हालांकि, हमने अवलोकित किया कि अनुमोदित दर में सेवा कर सम्मिलित था और जो नवंबर 2013 तक की अवधि तक मान्य था।

जेएसईबी ने मांगे गए बढ़े हुए दर को मान लिया और तदानुसार, विभाग ने साउथ वेस्ट पिनांकल एक्सप्लोरेशन प्राईवेट लिमिटेड को बेधन कार्य अनुमोदित दर के अतिरिक्त सेवा कर के साथ कार्यादेश जारी किया (03 मई 2013)। जेएसईबी ने एजेंसी को ₹ 13.03 करोड़ का भुगतान किया जिसमें ₹ 1.43 करोड़ का सेवा कर की अतिरिक्त राशि भी शामिल थी। साउथ वेस्ट पिनांकल एक्सप्लोरेशन प्राईवेट लिमिटेड को किया गया भुगतान निविदा के प्रावधानों के विरूद्ध था और इस प्रकार, यह भुगतान अनियमित था।

सरकार ने कहा (अगस्त 2015) कि बाह्य स्रोतों से एजेंसी का चयन और सेवा कर का भुगतान सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन पर किया गया था लेकिन इसका कोई प्रमाण या विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया। जेयूयूएनएल ने कहा (सितंबर 2015) कि वह विभाग द्वारा कार्यदेश देने से पहले अपनायी गयी प्रक्रिया को सुधारने या उसपर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं था। हालांकि, सेवा कर के अनियमित भुगतान के संबंध में यह कहा कि उक्त राशि की वसूली की जा सकती है।

[1] निविदा के शर्तो के अनुसार, निविदा की लागत पूरा जमा नहीं करना तथा एक राष्टीय बैंक के जगह में निजी बैंक से अग्रिम धन के लिए बैंक गारंटी जमा करना।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली में अयोग्य घोषित किये गये बोलीदाताओं को सूचिबद्ध किया गया था। इसके अलावा, जेयूयूएनएल का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जेएसईबी बोर्ड ने साउथ वेस्ट पिनांकल एक्सप्लोरेशन प्राईवेट लिमिटेड को अनुबंध देने से संबंधित एक एजेंडा का कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की थी जो सूचीकरण करने और कार्य आवंटन के लिए अयोग्य था।

इस प्रकार, दो एंजेंसियों जिनको तकनीकी और वाणिज्यिक योग्यता के बिना सूचिबद्ध किया गया था द्वारा बेधन कार्य के क्रियांवयन पर ₹ 21.70 करोड़ (₹ 8.67 करोड़ + ₹ 13.03 करोड़) का अनियमित व्यय हुआ।

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.3 परिहार्य व्यय

कंपनी द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 2.53 करोड़ का परिहार्य व्यय।

पूर्ववत झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) अब झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) के विद्युत आपूर्ति प्रक्षेत्र, राँची ने अपने अधीनस्थ विद्युत आपूर्ति प्रमण्डलों में जनवरी 2011 से दिसंबर 2012 तक दो वर्ष के लिए स्पॉट विपत्रीकरण, कंप्युटरीकृत विपत्रीकरण, विपत्र वितरण और इससे संबंधित कार्यों को एक फर्म को आउटसोर्स किया (दिसंबर 2010)।

कार्यों के आवधिक निविदा के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश के बावजूद, कंपनी के निदेशक मण्डल ने जनवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक की अवधि के दौरान अनुबंध का समय विस्तार छः बार समान दर पर किया। अनुबंधित मूल्य का भुगतान नवंबर 2015 तक ₹ 14.47 करोड़ था।

अनुबंध के उपबन्ध 1(1.1) (एम) के अनुसार, एजेंसी को उपभोक्ता विपत्र की मासिक सार की दो प्रतियाँ जिसके प्रत्येक पृष्ठ में न्युनतम 24 उपभोक्ताओं के विवरण शामिल हो तथा विभिन्न प्रतिवेदनों यथा दैनिक संग्रह प्रतिवदेन, विद्युत संबंध, विच्छेदित उपभोक्ताओं की सूची, दोषपूर्ण मीटरो का प्रतिवेदन, शून्य और औसत खपत उर्जा प्रतिवेदन, उपभोक्ताओं की श्रेणीवार उर्जा विक्रय/मूल्यांकन/संग्रहण/बकाया प्रतिवदेन और मीटर पठन शीट प्रत्येक की एक प्रति प्रस्तुत करना था। सार एवं प्रतिवेदनों की तैयारी हेतु ₹ 3.285 प्रति पृष्ठ भुगतान निर्धारित था।

अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला (अगस्त 2014) कि एजेंसी ने कार्यक्षेत्र के अनुसार दो प्रतियों की जगह मासिक सार की चार प्रतियाँ तैयार की। इसके अलावा, मासिक सार के प्रत्येक पृष्ठ में न्युनतम 24 उपभोक्ताओं के निर्धारित संख्या के विरूद्ध मात्र 15 उपभोक्ताओं का विवरण शामिल थे। इस तरह, सार के पृष्ठों की संख्या में वृद्धि हुई जिसके कारण एजेंसी को ₹ 0.59 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया। इसी तरह, एजेंसी ने अन्य प्रतिवेदनों की एक प्रति की जगह दो से तीन प्रतियाँ प्रदान की।

मुख्य अभियंता (वाणिज्यक एवं राजस्व) ने प्रतिवेदनों की एक प्रति प्राप्त करने और यदि आवश्यकता हो तो उन प्रतियों की छाया प्रति करने का निर्देश दिया (जनवरी 2014)। लेकिन इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। कंपनी ने जनवरी 2011 से जुलाई 2014 तक की अवधि के दौरान प्रतिवेदनों के इन अतिरिक्त प्रतियों के लिए

₹ 1.94 करोड़ का भुगतान किया जो कि अनुबंध के कार्यक्षेत्र से बाहर थे। इस प्रकार, ₹ 2.53 करोड़ (₹ 0.59 करोड़ + ₹ 1.94 करोड़) का अतिरिक्त व्यय किया गया जिसे रोका जा सकता था यदि अनुबंध के नियम एवं शर्तों को लागू किया जाता।

अगस्त 2014 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, कंपनी ने प्रतिवेदनों कि प्रतियाँ अनुबंधित संख्या तथा मासिक सार 24 उपभोक्ताओं के विवरण के आधार पर भुगतान करना शुरू किया तथा राशि जिसे अमान्य किया गया उसे भुगतान के लिए स्थगित रखा गया है।

सरकार ने कहा (सितंबर 2015) कि एजेंसी द्वारा आपूर्तित प्रतिवदेनों की तीन से चार प्रतियाँ को आवश्यकतानुसार राजस्व संग्रह के अनुश्रवण के प्रयोजन के लिए स्वीकृत किये गये और 24 उपभोक्ताओं का विवरण समायोजित नहीं हो सकता था क्योंकि कार्यादेश के अनुसार विपत्र सार के पृष्ठ का आकार 24 उपभोक्ताओं के विवरण के समायोजित करने के लिए अपर्याप्त था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिवेदनों के मामले में छाया प्रति का उपयोग किया जा सकता था जैसा कि मुख्य अभियंता द्वारा पूर्व में ही निर्देशित किया गया था। सार के संबंध में यदि एक पृष्ठ में आवश्यक सूचना के समायोजन के लिए कार्यादेश को संशोधित किया जाना था तो उक्त कार्य के लिए नया कार्यादेश देना ही सही विकल्प था। हालांकि, अनुबंध के कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर अनियमित भुगतान करते हुए कंपनी द्वारा छ: अवधि विस्तार प्रदान किया गया।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के कारण ₹ 2.53 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

3.4 उपभोक्ताओं की श्रेणी में परिवर्तन नहीं करने के कारण हानि

उच्च तनाव सेवा (एचटीएस) टैरिफ के अनुसार उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण नहीं करने के कारण कंपनी ₹ 55.15 लाख के राजस्व की उगाही में विफल रही।

झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश[2] यह प्रावधान करता है कि गैर घरेलू सेवा (एनडीएस) और निम्न तनाव औधोगिक एवं मध्यम शक्ति सेवा (एलटीआईएस) श्रेणियों के लिए निम्न तनाव आपूर्ति (एलटीएस) टैरिफ निम्न तनाव उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के लिए होता है जिनका अनुबंधित भार 100 किलोवोल्ट एम्पियर (केवीए) या 85.044 किलोवाट[3] (केडब्ल्यु) या 114 हॉर्स पावर (एचपी) तक होता है। 100 केवीए के उपर के भार उच्च तनाव सेवा (एचटीएस) श्रेणी के अन्तर्गत आता है। एचटीएस श्रेणी का टैरिफ एनडीएस और एलटीआईएस श्रेणियों के लिए लागू टैरिफ की तुलना में अधिक है।

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) के रामगढ़, राँची सेंट्रल और डोरंडा में स्थित विद्युत आपूर्ति प्रमण्डलों के अभिलेखों के नमूना जाँच (मार्च 2015) में पाया गया कि सात एनडीएस/एलटीआईएस उपभोक्ता अनुबंधित भार से अधिक उर्जा

[2] टैरिफ आदेश 2003-04 (जनवरी 2004 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2010-11 (मई 2010 से प्रभावी), टैरिफ आदेश 2011-12 (अगस्त 2011 से प्रभावी) और टैरिफ आदेश 2012-13 (अगस्त 2012 से प्रभावी)।

[3] एनडीएस श्रेणी से लिए 75 केड्ब्ल्यू तक का विद्युत संबंध भार जनवरी 2004 से प्रभावी तथा 85.044 केडब्ल्यू (100 केवीए)तक का विद्युत संबंध भार अगस्त 2012 से प्रभावी।

का उपयोग कर रहे थे जो उपभोक्ताओं के परिसर के भार निरीक्षण में पाया गया। निरीक्षण के आधार पर उपभोक्ताओं के अनुबंधित भार को बढ़ा दिया गया हालांकि, उनका विपत्रीकरण एचटीएस टैरिफ के जगह एनडीएस/एलटीआईएस टैरिफ के तहत जारी रखा गया जो टैरिफ आदेश का उल्लंघन था। परिणामस्वरूप, कंपनी को ₹ 55.15 लाख के राजस्व के हानि हुई जैसा कि **परिशिष्ट-3.1** में वर्णित है।

चूँकि कंपनी इन उपभोक्ताओं को अनुमान्य भार से अधिक ऊर्जा की आपूर्ति से अवगत थी अतः उसे उपभोक्ताओं की श्रेणी को एनडीएस और एलटीआईएस से एचटीएस में परिवर्तित करना प्रत्यासित था। इसके अलावा, लागू टैरिफ के अनुसार विधुत प्रभार की वसूली झारखण्ड (विधुत आपूर्ति संहिता) विनियमन, 2005 के अन्तर्गत आवश्यक है, जिसके अनुपालन में विफलता जेएसईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेश को लागू करने में दोषपूर्ण आंतरिक नियत्रंण तंत्र को इंगित करता है।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, कंपनी ने कहा (सितंबर 2015) कि एचटीएस टैरिफ के अनुसार ₹ 55.15 लाख की मांग अपभोक्ताओं के विपत्रों में किया गया है। कंपनी ने आगे कहा कि दो उपभोक्ताओं की श्रेणी को एचटीएस में बदल दिया गया है तथा शेष पाँच उपभोक्ताओं की श्रेणी को बदलने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

यद्यपि, तथ्य यथावत है कि कंपनी को राजस्व की हानि हुई जिसकी अभी तक (अगस्त 2015) उगाही नहीं की गई है।

इस प्रकार, कंपनी द्वारा उपयुक्त उच्च टैरिफ लागू करने में विफल रहने के कारण ₹ 55.15 लाख राजस्व अवसूलनीय रहा। यह कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ प्रदान करने जैसा है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जुलाई 2015); अनुस्मारक दिनांक 17 अगस्त 2015 के बावजूद उनके उत्तर प्रतीक्षित है (नवंबर 2015)।

3.5 गुणांक कारक के गलत प्रयोग के कारण राजस्व की हानि

उच्च तनाव (एचटी) उपभोक्ताओं के विपत्रीकरण में गुणांक कारक के गलत प्रयोग के कारण उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ तथा ₹ 2.05 करोड़ के राजस्व की उगाही नहीं होने के परिणामस्वरूप ₹ 73.17 लाख ब्याज की हानि।

जब उपभोक्ता का भार मीटर की निर्धारित क्षमता से अधिक हो, तो मीटर द्वारा दर्ज खपत रूपांतरण प्रक्रिया लागू होने के कारण उपभोक्ता की वास्तविक खपत से कम होती है। खपत की इकाई (केडब्लूएच) की वास्तविक संख्या जो उपभोक्ता को विपत्रीकृत की जाती है की गणना करने हेतु मीटर द्वारा दर्ज मीटर पठन को एक समानुपातिक कारक जिसे गुणांक कारक (एमएफ) कहा जाता है, से गुणा किया जाता है। एमएफ का निर्धारण कंपनी के मीटर रिले और टेस्टिंग (एमआरटी) प्रभाग द्वारा विद्युत संबंध की स्थापना, भार में वृद्धि एवं मीटर/करेंट ट्रॉसफॉर्मर के प्रतिस्थापन के समय किया जाता है।

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) के विद्युत आपूर्ति अंचल, जमशेदपुर के एमआरटी प्रभाग के अभिलेखों के संवीक्षा से प्रकट हुआ (फरवरी 2015) कि पाँच एचटी उपभोक्ताओं के मामले में, संचिका में एमएफ का संशोधन किये जाने

के बाद भी विपत्र पुराने एमएफ का प्रयोग करते हुए जारी था। नया एमएफ पुराने एमएफ से बहुत ज्यादा था, जिसके कारण उपभोक्ताओं का कम विपत्रीकरण हुआ। अगस्त 2012 से जनवरी 2015 की अवधि के दौरान दो से 29 माह की विभिन्न अवधि तक इन उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण पुराने एमएफ पर करने के कारण ₹ 2.87 करोड़ (**परिशिष्ट 3.2**) के राजस्व का कम विपत्रीकरण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (फरवरी 2015), कंपनी ने पाँच एचटी उपभोक्ताओं को उपर्युक्त राशि के लिए अनुपूरक विपत्र जारी किया गया (मार्च 2015) जिसमें से ₹ 82.17 लाख की वसूली हुई (जुलाई 2015)। इस प्रकार, ₹ 2.05 करोड़ की शेष राशि अवसूलनीय रही जिस पर जुलाई 2015 तक कंपनी को ₹ 73.17 लाख के ब्याज की हानि, 13 प्रतिशत ब्याज की दर से जिस पर कंपनी झारखण्ड सरकार से निधि उधार ले रही थी, हुई है।

इस प्रकार, विपत्रीकरण में एमएफ के गलत प्रयोग के द्वारा उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ प्रदान किया गया जिसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जा सकती है। इसके अलावा, ₹ 2.05 करोड़ का बकाया राजस्व एवं ₹ 73.17 लाख के ब्याज की वसूली हेतु सक्रियता से प्रयास करना चाहिए।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (सितंबर 2015) कि कम भारित राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की गई है। तथ्य यथावत है कि उपरोक्त राशि की वसूली अभी तक (नवंबर 2015) नहीं की गई है।

राँची **(एस. रमण)**
दिनांक : 05 फरवरी 2016 **महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक : 09 फरवरी 2016 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**